

12 227

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 104914



न्याय पत्र

हम कि प्रभात कुमार राय पुत्र श्री उमादाकर राय निवासी ग्राम ब पोस्ट-सल्लहपुर तहसील-सल्लहपुर जिला-देवरिया हाल मुधगम-ए-33 दिव्यनगर, तम्पा व परगना-हवेली, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर का हु। हम मुक्तिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम मुक्तिर के मन गतिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का ध्यान बना रहता है। हम मुक्तिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शांति-आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिवा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के राधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिवा व आचारा की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान-प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-भ्राता, सामुदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पीति, धुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी तावक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुक्तिर द्वारा एक कल्याणकारी न्याय/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुक्तिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक

Prabhat Kumar Ray

७५४ बी० न० १३१२१००

समिति
समिति
समिति
समिति
समिति

पृ ५७१
००१-



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 104919

इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत 9001/- (नौ हजार एक) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुक्ति ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निम्नलिखित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी-

1. यह कि हम मुक्ति द्वारा स्थापित न्यास का नाम "रामगुलाम राय राजादेवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" होगा जिसमें इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुक्ति द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ए-33 दिव्यनगर, पोस्ट-कूडाघाट, तथा व परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के भत्ते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुक्ति ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुक्ति द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी; भविष्य में हम मुक्ति द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुक्ति द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के साथ हम मुक्ति द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

Rohit Kumar Pri

93.92.106

Handwritten text in Devanagari script, possibly a name or title.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a signature or date.



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 100650

1. श्री उमाशंकर राय, पुत्र श्री अश्वनी कुमार राय निवासी ग्राम-पो0-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 2. श्री विनय राय पुत्र श्री उमाशंकर राय निवासी ग्राम-पो0-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 3. श्रीमती कुशमावती राय पत्नी श्री उमाशंकर राय निवासी ग्राम-पो0-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 4. श्रीमती नीशू राय पत्नी श्री विनय राय निवासी ग्राम-पो0-सल्लहपुर, तहसील-सलेमपुर जिला देवरिया।
 5. श्रीमती सविता राय पत्नी श्री प्रमोद राय निवासी ग्राम-नसिरा, पो0-कोहरा, जिला-छपरा।
 6. श्री प्रद्युम्न राय पुत्र श्री विरेन्द्र राय निवासी भीखमपुर रोड, अम्बेडकरनगर, शहर व जिला- देवरिया।
4. यह कि हम मुकिर द्वारा "रामगुलाम राय राजादेवी चैरिटेबुल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है -
1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
 2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्भर बनाना।

Rajendra Kumar



४३६

१५/१२/२००६

पुस्तकालय श्री गुरुदेव मठ

श्री गुरुदेव प्रसाद (कै.)
का. सं. २८ कलकत्ता ७०००६६



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 10520

3. नव-युवक, नव-युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई चारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति जफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. लिंग-भेद, जाति-पंक्ति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।
7. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
8. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये किड-कैंबर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पीओजीO कालेज की स्थापना करना तथा

Abdul Kadir

029 5000 93.92.120

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105202

- आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीसीएस, आईएएस में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टर्स की व्यवस्था तथा उराने होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
 10. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
 11. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
 12. सुपाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्कीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मेकेनिक, रेडियो एवं टीवी ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहेण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे - केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुराकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
 13. खाद्य प्रसंस्करण जैसे - जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

Jaahar Kumar



उत्तर ५० नं. १३.१२.५७८

प्रमाण प्रमाण (१५)

१२५५

(१५-१२) २४



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105203

14. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे - हण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबंध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
15. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे- गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित/अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
16. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।
17. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, विकित्ता घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टैंज, प्रशिक्षण हॉल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंध करना।
19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्त्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी - बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (बलोरी

Vishwas Kumar



१९७७ ५७.७ १३.११.७७

५५१२ २५/१५

१३ ७५५७७७



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105204

कल्वर) सुगन्ध हेतु अन्य पीधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पीधों का संरक्षण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पीधों की खेती करना।

20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उदास संम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
21. राष्ट्रीय-एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
22. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना-बेचना, उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, देचना आदि।
23. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे- यूनीसेफ, आईसीडीएएस, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
24. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशन उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्ताख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
25. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पाग-मसाला, भांजा-भांग, स्मैक, एलसीडी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली

Subhar Kumar

२५० यं. नं. १३.१२.१००

५३५५ ५३५५
१२५०

५३५५ ५३५५
५३५५ ५३५५



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 105205

- बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति नि:शुल्क भिफित्सालय की व्यवस्था करना।
26. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे- अन्ध-विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता, जाति-पात एवं छुआ-छूत की भावना, स्वेच्छिक भावना के द्वारा को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
27. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद-फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिये युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
28. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना- विभिन्न त्योहारों जैसे - होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे- शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय को रोक-धाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे - योगा, जिम्नारिटिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता करना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।
30. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जन संख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड - पाउप की व्यवस्था करना।

Fahim Kumar

93.92.2000

पुस्तक संख्या १३.९२.२०००
पुस्तक/पुस्तिका/पत्रिका
पुस्तक संख्या १३.९२.२०००
पुस्तक संख्या १३.९२.२०००
पुस्तक संख्या १३.९२.२०००



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दया/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा स्वतदान शिदिर का आयोजन करना।

32. एड्स, कैंसर, टीबी, एड, मलेरिया, कोलिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जांचकारी/संकेत/निरोक्षण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
33. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, भिखारियों, झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक धेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।
34. सरकारी कार्यक्रमों जैसे सूडा एवं सूडा को संचालित करना।
35. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय नाली, सडक निर्माण, खडन्जा, पिव, पार्क, शिदिर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवासा बनाकर मरीची रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।
36. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जांचकारी देगे अथवा दावा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिदिर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं

Pushpa Kumari

255 20.2.93 92.2-6

श्री श्री श्री

— 254

श्री श्री श्री



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928102
तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

37. धर्म, कम्प्यूटर, पुरुष सान-सब्जी, उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को प्रसंयमिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।
38. बन्दार एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा, श्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
39. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/निगन्त्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिये रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।
40. प्राकृतिक आपदा जैसे- हेजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिये सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिये लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।
41. लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गायों की देख बाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था

Rajesh Kumar

206 20.2.93.92.1-6

पुस्तक संख्या
— 222

४२



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928103

- करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिये पशु मेले का आयोजन करना।
42. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जल्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिये अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।
43. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
44. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये वाउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।
45. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
46. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
47. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, टाव्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

(Handwritten Signature)

20. 2. 93. 92. 206
214 114
— 210
28
1400:9



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928104

48. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एनजीओ, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया - कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।
 49. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
 50. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
 51. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
 52. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट गण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य
1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
 2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
 3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

Abhinav Kumar

20. 2. 93. 92. 2. 0

Handwritten signature or scribble

Handwritten initials or marks



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928105

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लागूधियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख-भाल करना, तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तांतरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाधित गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आर्धरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित रागरत कार्यों को करना।
11. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर

Bharat Kumar R.

260 20.2.93.1000

Handwritten signature

Handwritten signature



Small handwritten mark

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928106

महाविद्यालयों/इन्स्टीट्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/ कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीट्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा-

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हमें मुक्ति होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।
3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में

Sushil Kumar

क्र. 269 दि. 15. 11. 73. 92. 4. 6

नाम ...
पु/पुत्री/पुत्री ...
पता ...
बाप का नाम ...



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928107

- एसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्ट की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितों किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
 5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
 6. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होने तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
 7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
 8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये विरती प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित विलों व वाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

Barnat Kumar R.

बं. २६२ बी. २०. ३. १३. ११. १५०८

श्री/वसिनी ... २५९

दल प्रसाद वा० नं० ...
दिवानी ...



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928108

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अर्थात् संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के सालाना के क्रिया - कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. मुख्य ट्रस्टी / प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
 - इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
 - ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
 - ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
 - ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

Babur Kumar Pr.

ब. २६२ क्र. २०. २१ १३-१२-१८

नाम - प्रसाद प्रसाद

पता - २५८

नाम कावज प्रसाद का. नं. - - - २४
विदानी कन्हरी, गोरखपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928109

- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
 - ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
 - इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में श्रेष्ठ ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्य को करना।
 - ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
 - ट्रस्ट के आय-व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
 - ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।
8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था
 ट्रस्ट के कोष के सुचारु रख-रखाव एवं उसकी धारस्था हेतु किसी अकधर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होंगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।
9. ट्रस्ट के अनिलेख
 ट्रस्ट के अनिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

Abhinav Kumar Ri

246 90. 710. 98. 92. 200 E

Handwritten text in Devanagari script, including the word 'संज्ञा' (Sankhya) and other illegible characters.



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03AA 928110

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:-

- यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दरतावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की लेख से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या संपत्तियों को किराये पर दे सकेगा या वेच सकेगा।
- यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अन्तर्गत संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिबश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

Sanjay Kumar

222 98-92-1000

नाम श्री/श्रीमती प्रभात कुमार राय
पुत्र/पत्नी श्री उमाशंकर राय
पेशा व्यापार
निवासी रातलहपुर तहसीलेमपुर जिला देवरिया

102
66

9,001.00

बास 42

200.00

50

250.00

2,200

श्रीव रजिस्ट्री नकल व प्रति मुद्रक बांग 2500 लक्षण

नाम की रजि
श्री/श्रीमती प्रभात कुमार राय
पुत्र/पत्नी श्री उमाशंकर राय
पेशा व्यापार

निवासी रातलहपुर तहसीलेमपुर जिला देवरिया
अस्थापी पता ए 33 दिव्य नगर शहर गोरखपुर

ने यह लेखनाम इन धारणा दिनांक 15/12/2007 समय 5:20PM
कले निबन्धन हेतु पर किया।

Prabhat Kumar Ray



प्रभारी उप निबन्धक
उप निबन्धक द्वितीय
गोरखपुर
15/12/2007

निष्पादन लेखनाम बाध मूलने व समझने मजमून
न्यासी

श्री/श्रीमती प्रभात कुमार राय
पुत्र/पत्नी श्री उमाशंकर राय
पेशा व्यापार

निवासी रातलहपुर तहसीलेमपुर जिला देवरिया



ने निष्पादन सर्विकर किया।

जिनकी पहचान श्री गिरीश कुमार राय

पुत्र श्री राम गीरीश राय

पेशा शिक्षक

निवासी रातलहपुर शहर गोरखपुर

व श्री सुधीर कुमार राय

पुत्र श्री डा0अचिलानन्द राय

पेशा शिक्षक

निवासी 27 ए न्यू नय कालोनी रातलहपुर शहर गोरखपुर

ने की।

प्रापकता भद्र मारिजों के निशान अंगुठे निबन्धन हेतु पर किया।



Prabhat Kumar Ray

Girish Kumar Ray

प्रभारी उप निबन्धक
उप निबन्धक द्वितीय
गोरखपुर
15/12/2007

Sudhir Kumar Ray

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता प्रभात लुमराम पुत्र श्री लुमाईकर राम निवासी
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह : बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह : बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह : बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :




प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता / विक्रेता नाम व पता

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 871224

- ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
- ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा भुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
- ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी।

Signature

दि. १०/०३/०७ १२/१२/२००६

नाम: प्रमल कुमार राय S/O ओशांकुमार राय मन्दि. २१ मन्दि.

पत्नीमठल देवरिया

इ. प्र. प्रसाद स्टैप डिप्लोमा
भा. नं. २८ कलेक्टो कपहरो; वीरभद्र

न्यासी

Registration No 227 Year: 2007 Book No. 4

0101 प्रमल कुमार राय
उभासंकर राय
सालझापुर तहसीलेमपुर जिला देवरिया
व्यापार

Prakash Kumar Rai



MS 2



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 100649

घोषणा

“दामगुलाम टाय टाजादेवी चैटिटेयुल् ट्रस्ट” की तरफ से हम प्रभात कुमार राय मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व धित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन को सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण :

1. किरण कुमार राय पुत्र
स्व. श्री राम प्रीतम राय
रुस्तमपुर गोरखपुर
2. सुधीर कुमार राय पुत्र
श्री. श्री. लालचन्द्र राय
27-A, न्यू टाउन कालोनी
प्रदेशा जुंगी, गोरखपुर
दिनांक- 15.12.2007

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

Prabhat Kumar Ray

Ajay Kumar
मजिस्ट्रेट न्यायालय
Civil Court, Gorakhpur

..... 1972 12 16 G
.....
.....

६० मुम्बई नगर न्याय विभाग
कां. नं. 28 कलेक्टरों के द्वारा; गोरखपुर

[Handwritten signature]

आज दिनांक 15/12/2037 को
वही सं. 4 जिल्ला सं. 116
पृष्ठ सं. 143 से 184 पर क्रमांक 227
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक



[Handwritten signature]
प्रभारी न्यायिक अधिकारी
उप निदेशक जिला न्याय
गोरखपुर
15/12/2037